

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
अधिसूचना

अधिसूचना संख्या:- 6279003 / पटना, दिनांक :- 23/09/2026
ग्राOविO-R-504/49/2024-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-420320)

श्री प्रदीप कुमार झा, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-139157), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बहादुरपुर (दरभंगा) सम्प्रति-प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिरौल (दरभंगा) के विरुद्ध परिवाद की अनन्य संख्या-413110126122303829/2A में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा पारित अंतिम विनिश्चय दिनांक-12.03.2024 के आलोक में प्रपत्र-क गठित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से आरोप है कि पूर्व में स्वीकृत योजना 10,21,800/- रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति को पुनरीक्षित योजना का प्राक्कलन कर 17,75,300/- रुपये का कार्यान्वयन किया गया। पंचायत समिति स्तर पर अधिकतम 15 लाख रुपये तक की योजना कार्यान्वयन करने का निदेश पंचायती राज विभाग के पत्रांक-10/जि०प०,12-04/2019/3441/ पटना, दिनांक-25.03.2023 द्वारा दिया गया है। जबकि इस योजना की पुनरीक्षित प्राक्कलन की राशि 17,75,300/- रुपये है जो निर्धारित सीमा से अधिक है। पुनरीक्षित प्राक्कलन पर सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति कराये बिना कार्य कराना विभागीय प्रावधान एवं निदेश का उल्लंघन के आरोपों पर जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक-1878 दिनांक-20.11.2024 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ।

जिला पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा प्रतिवेदित आरोप पर श्री प्रदीप कुमार झा से विभागीय पत्रांक-3729583 दिनांक-20.02.2025 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। कार्यालय, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिरौल (दरभंगा) के पत्रांक-703 दिनांक-05.05.2025 के माध्यम से श्री झा द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। जिला पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-4371288 दिनांक-21.07.2025 द्वारा जिला पदाधिकारी, दरभंगा से मंतव्य की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक-414 दिनांक-05.02.2026 द्वारा श्री झा के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

श्री प्रदीप कुमार झा के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, दरभंगा से प्राप्त आरोप पत्र, श्री झा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, दरभंगा से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि पुनरीक्षित प्राक्कलन पर सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति कराये बिना कार्य कराना विभागीय प्रावधान एवं निदेश का उल्लंघन है।

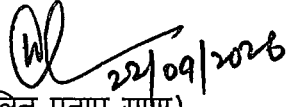
अतएव सम्यक विचारोपरांत जिला पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य से असहमत होते हुये श्री प्रदीप कुमार झा, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-139157), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बहादुरपुर (दरभंगा) सम्प्रति-प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिरौल (दरभंगा) के विरुद्ध "असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि अवरुद्ध करने" का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री प्रदीप कुमार झा के चरित्रपुस्त में इसकी प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

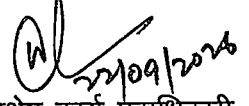
बिहार राज्यपाल के आदेश से


(नलिन प्रताप राणा)
विशेष कार्य पदाधिकारी

अधिसूचना सं०:- 6279005 / पटना, दिनांक :- 23/09/2026

संचिका सं०- R-504/49/2024-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-420320)

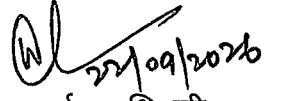
प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में, सी०डी० सहित) बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक:- 6279005 / पटना, दिनांक :- 23/09/2026

संचिका सं०- R-504/49/2024-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-420320)

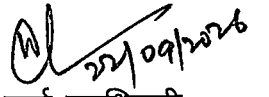
प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, दरभंगा/उप विकास आयुक्त, दरभंगा/कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा/प्रभारी पदाधिकारी प्रशाखा-03, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ श्री प्रदीप कुमार झा, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-139157), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बहादुरपुर (दरभंगा) सम्प्रति-प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिरौल (दरभंगा)/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग (विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्श हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक:- 6279005 / पटना, दिनांक :- 23/09/2026

संचिका सं०- R-504/49/2024-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-420320)

प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी